... (**Fresh**) छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ऑनलाइन भरेंगे।

2. स्नातक/परास्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्रायें **नवीनीकरण** (**Renew**) छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ऑनलाइन भरेंगे। **नवीनीकरण** (**Renew**) के छात्र/छात्रायें किसी भी दशा में **नवीन (नया)** (**Fresh**)छात्रवृत्ति आवेदन फार्म न भरें अन्यथा उनका फार्म स्वीकार नहीं किया जायेंगा।
3. यदि कोई छात्र/छात्रा एक पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
4. सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थागत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की समस्त श्रोतों से **वार्षिक आय 2 लाख** एवं अनुसूचित वर्ग/जन जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की समस्त श्रोतों से **वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार** होने पर ही छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरने के पात्र होंगे।
5. समस्त संस्थागत छात्र/छात्रायें अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा लें, साथ ही अपना आधार नम्बर अपने बैंक खाते से भी लिंक करा लें एवं मोबाइल नम्बर को भी रजिस्टर्ड करा लें।
6. समस्त संस्थागत छात्र/छात्रायें बदायूँ जिले में स्थित किसी भी राष्ट्रीकृत कम्प्यूटरीकृत बैंक शाखा में अपना खाता खुलवा लें तथा अपना आधार नंबर बैंक खाते से लिंक करा लें। छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में अपनी खाता संख्या, (**IFSC Code**) एवं बैंक पासबुक में अंकित नाम सही–सही भरें। अन्यथा छात्रवृत्ति प्राप्त नही होगी।
7. समस्त संस्थागत छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरते समय अपने हाईस्कूल एवं इण्टर का अनुक्रमांक, गत वर्ष में उत्तीर्ण पूर्णांक एवं प्राप्तांक, प्रतिशत आदि को सही–सही अंकित करें। यदि अनुक्रमांक के प्रारम्भ में शून्य अंकित है तो अनुक्रमांक शून्य सहित ही अंकित करें। अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा। यह एक अति महत्वपूर्ण बिन्दु है अतः इसे सावधानी पूर्वक भरें।
8. छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में आय, जाति प्रमाण पत्र के आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र के क्रमांक, जारी होने की तिथि, वार्षिक आय इत्यादि सही–सही भरें। आवेदन फार्म अंकित जानकारी गलत पाये जाने पर आवदेन निरस्त माना जायेगा।
9. यदि किसी छात्र/छात्रा के अन्य भाई या बहिन भी इस महाविद्यालय में या अन्य किसी महाविद्यालय/विद्यालय में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भर रहें है तो छात्र/छात्रा को विशेष ध्यान रखना होगा कि उसके एवं उसके भाई या बहिन के आवेदन पत्र में उनके पिता के नाम में किसी भी तरह का कोई अन्तर न हो।
10. स्नातक स्तर के छात्र/छात्रा आवेदन फार्म में पाठ्यक्रम की पात्रता इण्टर भरें।
11. **नवीनीकरण** (**Renew**) के छात्र/छात्रायें आवेदन फार्म में वर्तमान पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय, बोर्ड में पंजीयन क्रमांक में अपनी नामांकन संख्या (**Enrolment No.**) अनिवार्य रूप से भरें। **नवीन** (**Fresh**) के छात्र/छात्रायें इस कॉलम में **NA** भरें।
12. वर्तमान पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलएटिंग एजेंसी के नाम में **MJPRU Bareilly** भरें।
13. आवासीय/दिवा छात्र के विकल्प में **दिवा छात्र** पर ही टिक लगायें।
14. पाठ्यक्रम के प्रकार में नियमित पाठ्यक्रम का चयन ध्यान पूर्वक भरें।
15. अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क स्नातक/परास्नातक के छात्र/छात्रा कार्यालय में सम्बन्धित खिडकी से जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही शुल्क भरें।
16. महाविद्यालय में जमा शुल्क की रसीद संख्या, शुल्क की धनराशि, शुल्क जमा करने की तिथि स्पष्ट रूप में सही–सही अंकित करेंगे।
17. जब छात्र/छात्रा अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन पूर्ण भर लें तो (**Final Submit**) से पूर्व जॉचने हेतु प्रिन्ट निकाल लें तथा उसकी जॉच स्वंय करने के उपरान्त महाविद्यालय के कार्यालय में सम्बन्धित से करा लें ताकि किसी भी गलती के पाये जाने पर उसे पुनः संशोधित किया जा सके।

(डॉ0 सिद्धार्थ कश्यप)

(डॉ0 संजीव कुमार सक्सैना)